(34)

TEN RUPEES / TWENTY RUPEES — COURT FEE INDIA

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।२०१६- निगरानी निग-2641-II-16

१- मेहरवान सिंह,
२- गोविन्द सिंह
३- गजराज सिंह
| पुत्रगण सामलिया

निवासीगण- ग्राम सिलानगर, करैरा,
तेहसील- करैरा, जिला शिवपुरी (म०प्र०)।
४- महिला सानो पुत्री सामलिया पत्नी बाबूलाल
निवासिन ग्राम मगरौनी, तेहसील नरवर,
जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश)।

--------- प्रार्थीगण

श्री ... द्वारा ... 5-8-16 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ ... 5-8-16

बिरुध्द

सुघर सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम-सिला-
नगर, तेहसील करैरा जिला शिवपुरी-(म० प्र०)
------ प्रतिप्रार्थी

प्र-५९६

निगरानी बिरुध्द आदेश तेहसीलदार महोदय करैरा, जिला शिवपुरी दिनांकी १४-०६-१६ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ७०।अ-१२।१५-१६।कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत-१ करैरा।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय व्दारा की गई सीमांकन की कार्यवाही एवम् पारित आदेश कानूनन सही नहीं है।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।

३- यह कि, प्रकरण में धारा १२९- भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—2641—दो/2016 जिला—शिवपुरी

मेहरबान सिंह आदि विरूद्ध सुधर सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला—शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 70/अ—12/2015—16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14—06—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05—09—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	